

22

संख्या-1030/22-4-2012-48(68)/12

प्रेषक,
आर०के० द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उ०प्र०, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त, 2013

विषय:- जिला कारागार बिजनौर में टाइप-2 के 16 आवासों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 21/16/14-2, दिनांक-15.07.2013 के मन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1483/22-4-12-48(68)/12, दिनांक 31.01.13 द्वारा जिला कारागार बिजनौर में टाइप-2 के 16 आवासों के निर्माण हेतु रु० 1,29,61,000/- (रुपयः एक करोड़ उन्तीस लाख इकसठ हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं रु० 52,00,000/- (रु० बचन लाख मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। आपके उक्त पत्र दिनांक 15.07.13 में किये गये प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष द्वितीय किशत की धनराशि रु० 77,61,000/- (रु० सतहत्तर लाख इकसठ हजार मात्र) की सहय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

21/16/14-2
18.8.13

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुभाग संख्या 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01 सरकारी रिहायशी भवन 700 अन्य आवास-03-कारागार स्टाफ के लिए आवासों के निर्माण 24 गृह निर्माण कार्य" के नामे डाटा कियेगा और उक्त लेखाशीर्षक/गद में उपलब्ध प्रवधान से वहन किया जायेगा।

18.8.13

3- उक्त शासनादेश दिनांक 31.01.13 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी। आवासों का निर्माण कार्य दिनांक 31.12.13 तक पूर्ण कर उनका कब्जा कारागार विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। साथ ही समस्त आवासों में विद्युत गैटर भी लगा दिये जायें।

3205

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-बी-1-640/दस-2013 231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

12-8-13

अवधीय
(आर०के० द्विवेदी)
अनु सचिव

संख्या-1030(1)/22-4-13-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (सिविल अडिटर), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेख एवं हकदारी), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, बिजनौर।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय संस्थिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (अप व्ययक) अनु०-1/2
- ९- तदर्थ संलग्न।

आज्ञा प्तः

(७१२०६० द्विदेव)
अनु सचिव।